Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जोधपुर में पटवारी एवं ई–मित्र संचालक (प्राईवेट व्यक्ति) 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *24 अप्रेल, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जोधपुर ग्रामीण इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **सुश्री सोनिया पटवारी पटवारी मण्डल बालरवा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर** एवं **विजयवीर सिंह ई–मित्र संचालक जनसेवा केन्द्र बालरवा (प्राईवेट व्यक्ति)** को परिवादी से 10 **हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जोधपुर ग्रामीण इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि नामांतकरण दर्ज करने, नाम शुद्धीकरण करने व रहन मुक्त करने की एवज में आरोपिया सुश्री सोनिया पटवारी, पटवार मण्डल बालरवा द्वारा **12 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर** के सुपरवीजन में एसीबी जोधपुर ग्रामीण इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पारस सोनी** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्रीमती अनु चौधरी** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही की जाकर आरोपिया पटवारी के कहे अनुसार परिवादी से **10 हजार रूपये** की रिश्वत राशि विजयवीर सिंह ई–मित्र संचालक जनसेवा केन्द्र बालरवा (प्राईवेट व्यक्ति) को दिलवाने पर दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपिया एवं प्राईवेट व्यक्ति से पूछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।**